निर्णय वइजलास श्री रामावतार मीना आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 44 / 2019 प्रा0 पत्र
दायरा दिनांक :–14.05.2019
निर्णय दिनांक :– 24.6.19

उनवान

1. कैलाश पुत्र प्रभूलाल जाति धोबी निवारी छबडा तहसील छबडा

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एल,आर.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 24.6.19

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एल आर .एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0नं0 546 / 515 रकबा 3 बीघा मौजा पीपलखेडी मे स्थित हैं जो प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज हैं एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रार्थी अधिकांशतः मजदूरी के सिलसिले में छबडा में निवास करता रहता है इसी कारण उक्त वर्णित आराजीयात के काश्त, मेंडबन्दी, हकबन्दी इत्यादी को लेकर पडौसी काश्तकारान में आये दिन विवाद बना रहता है जिसके कारण प्रार्थी अपनी आराजीयात की समुचित काश्त नहीं कर पाता तथा हदबन्दी को लेकर आये दिन विवाद उत्पन्न होते रहते है। प्रार्थी को मानसिक अशान्ती बनी रहती है इन हालात में प्रार्थी के लिए अपने खाते की आराजीयात का सीमा ज्ञान हदबन्दी एवं मेडबंदी तथा मुड्डी गडवाना चाहता है ताकि पडौसी काश्तकारान से हमेशा का विवाद समाप्त हो जाये। प्रार्थी ने इस बावत तहसीलदार से भी निवेदन किया उन्हे आवेदन भी दिये सीमाज्ञान की फीस भी जमा कर दी लेकिन उन्होने सीमाज्ञान नहीं कराया तथा पत्थर गढी कराने से दिनांक 9.05.2019 को मना कर देने से कार्यवाही पंश करने का कारण उत्पन्न हुआ। प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण पडौसी खातेदारान द्वारा जमीन की हदबंदी मेंडबंदी से मना कर देने से अन्तिम वार दिनांक 10.05.2019 को उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलव किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम पीपलखेडी सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 160, नकल नकल नक्शा ट्रेस, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2073–2076, तहसीलदार को सीमाज्ञान हेतु प्रस्तुत प्रा0 पत्र की छाया प्रति, चालान द्वारा राशि जमा कराई गई उसकी प्रति पेश पेश की गई। वादी का कथन है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी की हैं। पडौसी खातेदारान जबरन मेड तोडकर कब्जा करने का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

प्रयास करते है। इसलिए आपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करवा पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। जिससे पडौसी काश्तकारों से किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो सके।

वकील वादी को सुना गया पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम ग्राम पीपलखेडी सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 160 प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज हैं। प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करा कर पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे पडौसी काश्तकार व खातेदारों से किसी प्रकार का विवाद नही हो। वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम पीपलखेडी तहसील छीपाबडौद के ख0नं0 546/515 रकबा 3 बीघा भूमि की टीम गठित की जाकर सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीना)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी छीपाबड़ौद

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2019.07.15 18:03:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: